भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2690
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

तेलंगाना में एसपीएमआरएम

2690. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत संस्वीकृत और विकसित क्लस्टरों का तेलंगाना सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना की शुरुआत से अब तक तेलंगाना में केन्द्र और राज्य के अंशदान सहित इन क्लस्टरों के लिए कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ग) क्या एसपीएमआरएम के अंतर्गत विकास हेतु क्लस्टरों का चयन करने के लिए किन्हीं विशिष्ट मानदण्डों का उपयोग किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक कुल 297 क्लस्टर (ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है) स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) योजना के अंतर्गत तेलंगाना राज्य को जारी की गई कुल निधि 352.895 करोड़ रुपये है, जिसमें 234.609 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश और 118.286 करोड़ रुपये का राज्य अंश शामिल है। **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) के लिए 31 मार्च, 2022 को समापन तिथि घोषित की गई है। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2023 के बाद किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को इस योजना के अंतर्गत कोई निधि आवंटित नहीं की गई।**

(ग) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रूर्बन क्लस्टरों का चयन एसपीएमआरएम कार्यान्वयन रूपरेखा (ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है) के अनुसार किया गया है।

*****

अनुबंध –I

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत शुरुआत से अब तक स्वीकृत क्लस्टरों की सूची			
क्र सं:	**राज्य का नाम**	**क्लस्टरों की संख्या**	**कार्य पूर्णता प्रतिशत (% में)**
1	उत्तर प्रदेश	19	99.58
2	राजस्थान	16	98.34
3	तमिलनाडु	11	98.05
4	कर्नाटक	8	93.71
5	जम्मू और कश्मीर	2	84.43
6	तेलंगाना	17	82.4
7	मिजोरम	4	82.17
8	ओडिशा	14	81.62
9	उत्तराखंड	7	81.09
10	हरियाणा	10	80.68
11	सिक्किम	3	80
12	गुजरात	16	79.97
13	छत्तीसगढ़	19	76.02
14	त्रिपुरा	7	75
15	असम	9	74.89
16	केरल	13	74.63
17	अरुणाचल प्रदेश	4	72.44
18	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	71.02
19	मेघालय	4	66.44
20	आंध्र प्रदेश	13	66.31
21	मध्य प्रदेश	19	63.04
22	लक्षद्वीप	1	59.09
23	पुदुचेरी	2	55
24	लद्दाख	1	55
25	महाराष्ट्र	20	52.34
26	बिहार	11	50.68
27	पंजाब	8	37.63
28	झारखंड	15	35.76
29	हिमाचल प्रदेश	6	33.42
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	2	25.93
31	मणिपुर	4	18.09
32	गोवा	2	0
33	पश्चिम बंगाल	7	0
34	नागालैंड	2	0

अनुबंध-II

एसपीएमआरएम के तहत क्लस्टर के चयन मानदंड

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) के अंतर्गत रूर्बन क्लस्टरों का चयन ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ब्यौरा इस प्रकार है:

1. गैर-जनजातीय ग्रामीण कलस्टरों की पहचान के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया

चार्ट-1

किसी राज्य में गैर-जनजातीय ग्रामीण कलस्टरों की पहचान की प्रक्रिया - ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उठाए जाने वाले कदम
राज्य में गैर-जनजातीय ग्रामीण कलस्टरों की पहचान
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उठाए जाने वाले कदम
चरण 1- गैर-जनजातीय और जनजातीय जिलों का पृथक्करण
2011 की जनगणना के आधार पर देश के शीर्ष 100 जनजातीय जिलों की पहचान और राज्य में गैर जनजातीय और जनजातीय जिलों का पृथक्करण
चरण 2- ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि के आधार पर राज्य के गैर-जनजातीय जिलों में से शीर्ष 50 उप-जिलों की पहचान
चरण 3- किसी राज्य में संभावित उप-जिलों की पहचान के लिए शीर्ष 50 उप-जिलों की रैंकिंग
ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि
गैर-कृषि कार्य भागीदारी अनुपात में दशकीय वृद्धि
जिले में आर्थिक कलस्टरों का होना
जिले का पर्यटन एवं तीर्थयात्रा संबंधी महत्व
परिवहन गलियारों से निकटता

चार्ट-II

किसी राज्य में गैर-जनजातीय कलस्टरों की पहचान
राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम
गैर-आदिवासी ग्रामीण कलस्टरों की रैंकिंग और चयन
चरण 1- अग्रणी उप-जिलों में रूर्बन कलस्टरों की पहचान
शीर्ष उप जिलों में रूर्बन क्लस्टर बनाने के लिए सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती/जनगणना शहर के आसपास के निकटवर्ती गांवों की पहचान करना
चरण 2 – ग्रामीण क्लस्टरों की रैंकिंग

1. ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि
2. भूमि मूल्यों में वृद्धि
3. गैर-कृषि कार्यबल भागीदारी में दशकीय वृद्धि
4. माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं का नामांकन %
5. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता धारक परिवारों का %
6. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में निष्पादन
7. ग्राम पंचायतों द्वारा सुशासन

2. जनजातीय ग्रामीण समूहों की पहचान के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया।

चार्ट-III

राज्य में जनजातीय ग्रामीण क्लस्टर की पहचान	
v. जनजातीय क्लस्टर की रैंकिंग के लिए, उप-जिला और क्लस्टर स्तर पर अपनाए गए मापदंड गैर-जनजातीय क्लस्टरों के लिए अपनाए गए मापदंडों से भिन्न होंगे।	
v. ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य में अग्रणी जनजातीय उप जिलों का चयन करेगा, जिसके अंतर्गत राज्य सुझाई गई पद्धति के अनुसार जनजातीय क्लस्टरों का चयन कर सकते हैं:	
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अग्रणी जनजातीय उप जिलों का चयन	**राज्य सरकार द्वारा जनजातीय समूहों का चयन**
1. जनजातीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि	1. जनजातीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि
2. जनजातीय साक्षरता दर	2. जनजातीय साक्षरता दर में वृद्धि
3. गैर-कृषि कार्य भागीदारी अनुपात में दशकीय वृद्धि	3. गैर-कृषि कार्य भागीदारी अनुपात में दशकीय वृद्धि
4. ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि	
5. जिले में आर्थिक समूहों का होना	

****